

पंचायती राज संस्थानों में पछिड़ा वर्ग (ए) को मल्लिगा आरक्षण

चर्चा में क्यों?

31 अगस्त, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज संस्थानों में पछिड़ा वर्ग (ए) के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये इस संबंध में हरियाणा पछिड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व जज, न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) दर्शन सहि के नेतृत्व में गठित आयोग ने पछिड़े वर्गों के नागरिकों के राजनीतिक पछिड़ेपन का आकलन करने के लिये गहन जाँच की। आयोग ने पाया कि पछिड़ा वर्ग ब्लॉक-ए (बीसी-ए) के लोगों को राजनीतिक सेटअप में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण उन्हें पंचायती राज संस्थानों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **आयोग द्वारा ग्राम पंचायत में अनुशंसित आरक्षण**
 - प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच के पदों को पछिड़ा वर्ग (ए) के लिये कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षणित किया जाएगा जो ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी में पछिड़ा वर्ग (क) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमिल वैल्यू 5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।
 - बशर्ते कि यदि पछिड़े वर्ग (ए) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का दो प्रतिशत या अधिक है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पछिड़े वर्ग (ए) से संबंधित कम से कम एक पंच होगा।
 - इसी प्रकार एक ब्लॉक में सरपंच के पदों की कुल संख्या का आठ प्रतिशत और यदि डेसिमिल वैल्यू 5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए पछिड़ा वर्ग (ए) के लिये आरक्षणित किया जाएगा।
- **आयोग द्वारा पंचायत समिति में अनुशंसित आरक्षण**
 - प्रत्येक पंचायत समिति में सदस्य के पद पछिड़ा वर्ग (ए) के लिये कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षणित किया जाएंगे, जो ब्लॉक की कुल आबादी में पछिड़ा वर्ग (ए) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमिल वैल्यू 5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।
- **आयोग द्वारा ज़िला परिषद में अनुशंसित आरक्षण**
 - प्रत्येक ज़िला परिषद में सदस्य के पद पछिड़ा वर्ग (ए) के लिये कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षणित किए जाएंगे, जो ज़िला परिषद क्षेत्र की कुल आबादी में पछिड़ा वर्ग (ए) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी।
- आयोग ने कहा है कि शीर्ष न्यायालय के निर्देशानुसार आरक्षण किसी भी पंचायती राज संस्थान में अनुसूचित जाति और बीसी (ए) के पक्ष में आरक्षणित कुल सीटों के कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- आगे स्पष्ट किया गया है कि पछिड़े वर्ग (ए) के लिये इस प्रकार आरक्षणित सीटों की संख्या को अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षणित सीटों की संख्या के साथ जोड़ने पर यदि उनकी कुल संख्या पंचायती राज संस्थानों की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो पछिड़े वर्ग (ए) के लिये आरक्षणित सीटों की संख्या को वहीं तक रखा जाएगा, जिससे कि अनुसूचित जाति और बीसी (ए) का आरक्षण ग्राम पंचायत के पंच, पंचायत समिति के सदस्य और ज़िला परिषद के सदस्य की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।
- आयोग द्वारा इन सफ़ारिशों को स्पष्ट करते हुए उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिये गाँव में पछिड़े वर्ग ब्लॉक ए की आबादी ग्राम सभा की कुल आबादी का 25 प्रतिशत है तो 5 प्रतिशत सीटें पछिड़ा वर्ग ब्लॉक (ए) के नागरिकों के लिये आरक्षणित होंगी।
- जहाँ किसी गाँव में अनुसूचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है तो पछिड़े वर्ग (ए) को अपनी आबादी की प्रतिशतता के बावजूद भी कोई आरक्षण नहीं मल्लिगा।